

प्रपत्र – 23
(नियम 85 देखिये)
निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करता/करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है : —

अधिसूचना संख्या—

दिनांक...../2015

जिला : रामगढ़।

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् जिससे पद सम्बन्धित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
नारायण करमाली	पंचायत समिति सदस्य	अनुसूचित जनजाति	अन्य	XVI रामगढ़/03/रामगढ़ -01 दोहाकातु पंचायत के वार्ड सं0 01 से 07 तक
सरस्वती देवी	पंचायत समिति सदस्य	अनारक्षित	महिला	XVI रामगढ़/03/रामगढ़ -02 दोहाकातु पंचायत के वार्ड सं0 08 से 15 तक
विजय कुमार केशरी	पंचायत समिति सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	XVI रामगढ़/03/रामगढ़ -03 कुन्दरुकला पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र
इन्द्रजीत मुण्डा	पंचायत समिति सदस्य	अनारक्षित	अन्य	XVI रामगढ़/03/रामगढ़ -04 बारलौंग पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र

स्थान : समाहरणालय, रामगढ़।

तारीख : 21/12/2015

ह0/— (अस्पष्ट)
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
—सह—उपायुक्त, रामगढ़।

टिप्पणी : —

- यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब “अनारक्षित” का उल्लेख किया जाये।
- यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में “महिला” शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब “अन्य” शब्द का उल्लेख किया जाये।